न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या ::– 109/2011

मांगीलाल पिता उदा जी जाति ओड निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. नंदलाल पिता उदा जी जाति ओड निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. जगदीश पिता उदा जी जाति ओड निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. श्रीमान जिलाधीश महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़
4. श्री तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादी
श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक ::– 18.06.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा

वादी का वाद पत्र पर इस प्रकार से है कि मुझवादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता उदा पिता लालू जी ओड निवासी बेगूँ के नाम दिनांक 06.08.69 को ग्राम हरिपुरा पटवार सर्कल दौलतपुरा तहसील बेगूँ की गत आराजी नम्बर 403 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश हुआ जो वर्तमान में आराजी नम्बर 784 रकबा 5 बीघा बनती है। लेकिन सेटलमेन्ट वालो की गडबडी से खाते में दर्ज की गई।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पर मुझ वादी का कब्जा है तथा इससे पूर्व मेरे पिता उदा जी का कब्जा चला आ रहा था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, उनके हम तीन लडके मै स्वयं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। यह कि गत भू–प्रबंध में जरीब 152 फीट लम्बी थी तथा वर्तमान में जरीब 132 फीट है इस कारण रकबा बढना चाहिये था जो करीब वर्तमान में 5 बीघा बनता है। वर्तमान में मुझ वादी के हिस्से में 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि आती है। मुझ वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाते में दर्ज की जाना न्यायसंगत है।

यह कि मौजा अनोपपुरा पटवार सर्कल दौलतपुरा की गत भू–प्रबंध की आराजी संख्या 3 मी. रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि मुझ वादी के पिता एवं प्रतवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता श्री उदा जी पिता लालू जी ओड निवासी बेगूँ के नाम दिनांक 08.08.1969 को खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति हुई , लेकिन वर्तमान में यह भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम खाते में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सेटलमेन्ट वालो की गलती के कारण दर्ज नही की गई। वर्तमान में जरीब छोटी हो जाने से वर्तमान मे रकाब 3 बीघा एवं 1 बिस्वा बनता है। सेटलमेन्ट वालो ने नवीन आराजी नम्बर 626 के गत नम्बर 352मी. के बनाये है लेकिन गत आराजी नम्बर एवं नक्शे के आधार पर मिलान से आराजी नम्बर 3मी. के बनते हैं।

यह कि उक्त वर्णित आराजी मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम खाते मे दर्ज होनी चाहिए थी , लेकिन दर्ज नहीं की गई जो हमारे नाम खाते में दर्ज होना न्यायसंगत है। यह कि उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम हरिपुरा एवं अनोपपुरा पटवार सर्कल दौलतपुरा तहसील बेगूँ में स्थित होने से श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से यह वाद न्यायालय श्रीमान आपके श्रवणाधिकार में है। मुझ वादी ने श्रीमान तहसीलदार साहब बेगँ से कई बार निवेदन किया लेकिन कोई ध्यान नहीं देने से यह वाद कारण उत्पन्न हुआ जो दिनांक 15.01.2009 से उत्पन्न होकर हर रोज उत्पन्न हो रहा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाये गये है लेकिन सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होन से प्रतिवादीगण संख्या 3 एवं 4 के विरूद्ध वादप्रस्तुत करने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 का अलग से प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 3 एवं 4 के निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि :–

(1) कि मौजा हरिपुरा पटवार सर्कल दौलतपुरा तह0 बेगूं की गत आराजी संख्या 403 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके नवीन आराजी नम्बर 784 रकबा 5 बीघा भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज फरमायी जावें।

(2) कि मौजा अनोपपुरा पटवार सर्कल दौलतपुरा तहसील बेगूं की गत आराजी नम्बर 3 मी. जिसके नवीन आराजी नम्बर 626 बनते है जिसका रकाव 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खाते में दर्ज फरमायी जावें।

(3) कि हर्जा खर्चा वकील महनताना भी मुझ वादी जो प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 से दिलाया जावें।

(4) कि अन्य कोई दाद जो मुफीद वादी हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावाजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आए इस कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूं उपस्थित आए जिन्हें गई अवसर व अंतिम अवसर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु दिये गये किन्तु उनकी ओर से कोई जवाबदावा पत्रपावली मे प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का जवाबदावा बन्द किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

दावा पत्रावली में साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी मांगीलाल पिता उदा जी ओड व गवाह जगदीश के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए गये, वादी मांगीलाल ने मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया जिरह निल रही है। इस प्रकारवादी के बयान कलमबद्ध कराये गयें। पत्रावली मे साक्ष्य वादीगण की ओर से पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली में यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस दावा पत्रावली का निर्णय इय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 24.05.2010 को निम्न प्रकार से किया गया था :–

" वादी द्वारा अपने वादपत्र की पत्रावली में वर्तमान जमाबंदी को प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि वादवर्णित नवीन आराजी संख्या 784 मौजा हरिपुरा व आराजी संख्या 626 मौजा अनोपपुरा की क्या स्थिती है भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है अथवा किसी खातेदार के नाम पर अंकित है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध कराने में पूर्णतया दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः वाद वादी का अ0नि0 68 आर0सी0एक्ट का दस्तावजी सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है।"

पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध किए गये निर्णय दिनांक 24.05.2010 के विरूद्ध प्रथम अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ के न्यायालय में की थी जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 28.06.2011 को निर्णित किया तथा निर्णय निम्न प्रकार से दिया गया :–

[signature]

...त: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24. ...010 अपास्त किये जाते है और प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का ...थल निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिती में किया जाकर तथा गत आराजीयात के नवीन खसरा नम्बर ...का माप अनुसार सत्यापन कर तथा वादी अपीलान्ट को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ...देकर पुनः सुनवाई के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावें।"

इस प्रकार यह दावा पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्णय से पुनः रिमाण्ड से प्राप्त होने पर पत्रावली मे पुनः सुनवाई की गई है तथा वादी को अवसर दिये गये हैं। इस पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय में दिये गये निर्देशो की पालना में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को जरिये पत्र कमांक 822 दिनांक 15.10.2014 से लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ ने उनके पत्रांक 1641दिनांक 11.11.2014 से पत्रावली में रिपोर्ट प्रेषित की गई ,रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बेगूँ व कादुन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया कि वादी के पिता उदा पिता लालू ओड निवासी बेगूँ के ग्राम हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा में गत भू-प्रबन्ध मे से मि0नं0 3077/68 आराजी नं0 403 मे से 3बीघा 15 बिस्वा भूमि नामा.सं. 90 से दर्ज रेकार्ड हुई।

ग्राम हरिपुरा की आराजी नं0 403 मे से आवंटित 3बीघा 15 बिस्वा का नवीन भू-प्रबन्ध में 5 बीघा बनता है। गत भू-प्रबन्ध एवं नवीन भू-प्रबन्ध के नक्शों के मिलान पर आराजी नं0 403 के नवीन आराजी नं0 783, 784, 788 एवं 789 बनते है। परन्तु भू-प्रबंध के मिलान क्षैत्रफल से नवीन आराजी नम्बर 783, 784, 788 एवं 789 के पुराने नम्बर 403 नहीं है।

ग्राम हरिपुरा के आराजी नम्बर 783 रकबा 3.89 हैक्टर किस्म आरक्षित चारागाह दर्ज होकर मौके पर रकबा 0.809 हैक्टर मे वादी श्री मांगीलाल पिता उदा ओड निवासी बेगूँ का कब्जा है।

ग्राम अनोपपुरा में गत भू-प्रबन्ध में आराजी नरम्बर 3 मे से रकबा 2बीघा 6 बिस्वा नामा.सं. 151 दिनांक 25.06.70 से उदा पिता लालू ओड निवासी बेगूँ के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई गत भू-प्रबन्ध में 2 बीघा 6बिस्वा भू-प्रबन्ध मे 3बीघा 1 बिस्वा बनती हैं।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम अनोपपुरा गत आराजी नं. 3 का नक्शे से मिलान करने पर नया नम्बर 626 बनना दर्शाया गया है परन्तु नक्शे की नकल साथ संलगन नहीं है । एवं रिपोर्ट मे तनाजा दर्शाया गया है। संलग्न ग्राम अनोपपुरा के मिलान क्षैत्रफल अनुसार आराजी नं. नवीन 626 के गत आराजी नम्बर 355 थे।

अतः ग्राम हरिपुरा की आराजी नं0 783 मी. व 784 की रकबा 3.89 हैक्टर व 2.10 हैक्टर होकर आरक्षित चारागाह दर्ज रेकार्ड है। एवं ग्राम अनोपपुरा के आराजी संख्या 748/626, 749/626, 750/626, 903/626, 909/626, 910/626 किता-6 रकबा 4.23 हैक्टर बिलानाम बंजड दर्ज रेकार्ड है। दोनो ग्राम के मध्य तनाजा है।

इस दावा पत्रावली के न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ के न्यायालय से रिमाण्ड होने के पश्चात भी इस दावा पत्रावली में पुनः वर्तमान विवादित आराजी के कब्जे काश्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से इस न्यायालय के पत्रांक 12 दिनांक 22.01.2025 से तलब की गई जो तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 183 दिनांक 17.03.2025 से भू0अ0नि0बेगूँ की रिपोर्ट के साथ व पर्चामौका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्राप्त हुई। रिपोर्ट में विवादित आराजी ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की गत आराजी संख्या 403 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 784 रकबा 5 बीघा है एवं ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की गत आराजी 3मी. जिसके नवीन आराजी संख्या 626 रकबा 3बीघा 1 बिस्वा बनता है उक्त दोनो आराजी के मौके की एवं कब्जा काश्त रिपोर्ट को निम्नलिखित बिन्दुवार प्रेषित किया है :-

1- यह कि ग्राम हरिपुरा की आराजी संख्या 783 रकबा 3.89 हैक्टर भू मि किस्म आरक्षित चारागाह (सेट अपार्ट) दर्ज रेकार्ड है । उक्त आराजी मे से 0.80 हैक्टर भूमि पर श्री मांगीलाल पिता उदा जाति ओड निवासी बेगूँ श्री जगदीश पिता उदा जाति ओड तथा मंगालाल पिता उदा ओड निवासी बेगूँ का कब्जा व काश्त होना उपस्थित मौतबिरानो ने बताया।

के पर उक्त आराजी के चारो तरफ पत्थर की कच्ची दिवार बना रखी है उक्त भूमि मे वर्ष 4–25 की फसल रबी काश्त मक्का व लहसुन की फसल खडी है। उक्त फसल बटाई/सिजारा र श्री शम्भूलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी हरपुरा को वादी व उपस्थितगणों द्वारा देना बताया गया।

2– यह कि ग्राम हरिपुरा की आराजी संख्या 784 रकबा 5 बीघा पर वादी का कब्जा व काश्त नहीं होना उपस्थितगणो ने बताया।

3– यह कि ग्राम अनोपपुरा की आराजी संख्या 626 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा पर वादी का कब्जा नहीं होना उपस्थित व वादीगणो ने बताया।

4– यह कि ग्राम अनोपपुरा की आराजी संख्या 626 रकबा 3.84 हैक्टर भूमि "वन विभाग" के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है।

इस दावा पत्रावली में वादी की ओर से पूर्व की साक्ष्य के अतिरिक्त कोई नई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रतिवादी राज सरकार की ओर से भी कोई साक्ष्य इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत की है।

पत्रावली मे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय में दिये गये निर्देशो की पालना में विवादग्रस्त मौके के कब्जे काश्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट इस दावा पत्रावली में दो बार तलब की जा चुकी है। वर्तमान रिपोर्ट का उल्लेख भी इस दावा पत्रावली में उपर अंकित किया गया है। वादी की ओर से अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र पर बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन तहसीलदार ने कब्जा मानकर खातेदार अधिकार दिये थे कुल भूमि 6 बीघा हुई थी। एक जगह 80 आरी पर कब्जा रिपोर्ट माना है। कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दर्ज करवाने आया हूँ। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय ने भी कब्जे के अनुसार मौका रिपोर्ट से जॉच कर निर्णय के निर्देश उनके निर्णय में दिये हैं। अतः वाद वादीगण का स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात वादीगण द्वारा उनके दावा पत्र को सिद्ध कराने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनका गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रदर्श–1 स्टाम्प 25 नये पैसे पर किए आदेश की है जिसमे दिनांक 8.8.1969 मि0नं0 3077/63 से हुकम दिया है " आदेश न्यायालय श्री पदमसिंह महेचा तहसीलदार धारा 91 प्रतापगढ मु0 दौलतपुरा ता. 14.7.69 में अंकित किया है – मैने मिसल व रेकार्ड पटवार का अच्छी तरह से देखा गैरसायल श्री उदा पिता लालू ओड सा.बेगूँ ने ग्राम हरिपुरा की आराजी नं0 403 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर 2024 से नाजायज कब्जा कर 2025 तक उसमें बराबर आज तक काश्त की है। फाईल एडवाइजरी कमेटी में पेश की गई उपस्थित सरपंच जी ने बताया कि गैरसायल गरीब भूमिहीन व्यक्ति है व मेहनती है उक्त भूमि खाते दर्ज कर दी जावें। अतः राज्य सरकार के सरकूलर संख्या एफ/3/50/रेव/वी/64 ता. 5.10.67 के अनुसार कुल 1.87 पैसा का 35 गुना 64.45 पैसा शास्ति नजराना एव पट्टा फीस 5 रूप्ये जुमला 70.45 पैसा कायम कर उक्त भूमि पर खातेदारी हकूक प्रदान किये जाते है आदेश की तामील हेतु टी आर ए एवं पटवारी हल्का सूचित हो। फैसला सरे ईजलास सुनाया गया।

इस दस्तावेज प्रदर्श–1 के अनुसार जो भूमि वादीगण को कब्जे के आधार पर नियमन की गई तो बाकी शेष भूमि वादीगण के खातेदारी मे दर्ज होने से क्यो रह गई जिसके लिए यह दावा वादीगण लाये है यह तथ्य वादीगण स्पष्ट नहीं कर सके है। साथ ही माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना में इस दावा पत्रावली में कब्जे के सम्बन्ध मे रिपोर्ट तलब की गई जिसमें स्पष्ट आया है कि ग्राम हरिपुरा की आराजी संख्या 783 रकबा 3.89 हैक्टर भू मि किस्म आरक्षित चारागाह (सेट अपार्ट) दर्ज रेकार्ड है । उक्त आराजी मे से 0.80 हैक्टर भूमि पर श्री मांगीलाल पिता उदा जाति ओड निवासी बेगूँ श्री जगदीश पिता उदा जाति ओड तथा नंदालाल पिता उदा ओड निवासी बेगूँ का कब्जा व काश्त होना उपस्थित मौतबिरानो ने बताया। मौके पर उक्त आराजी के चारो तरफ पत्थर की कच्ची दिवार बना रखी है उक्त भूमि मे वर्ष 2024–25 की फसल रबी काश्त मक्का व लहसुन की फसल खडी है। उक्त फसल बटाई/सिजारा पर श्री शम्भूलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी हरपुरा को वादी व उपस्थितगणों द्वारा देना बताया गया।

Mf

नि आरक्षित चारागाह भूमि पर कब्जा को किस नियम के तहत खातेदारी अधिकार दिये जा सकते साथ ही ग्राम हरिपुरा की आराजी संख्या 784 रकबा 5 बीघा पर वादी का कब्जा व काश्त नहीं होना उपस्थितगणो ने बताया। ग्राम अनोपपुरा की आराजी संख्या 626 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा पर वादी का कब्जा नहीं होना उपस्थित व वादीगणो ने बताया।

एवं ग्राम अनोपपुरा की आराजी संख्या 626 रकबा 3.84 हैक्टर भूमि "वन विभाग" के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है। इस प्रकार आरक्षित चारागाह भूमि एवं वन विभाग की भूमि पर खातेदारी दिया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। साथ ही दावा पत्रावली में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श–2 25 नये पैसे पर नकल हुकुम दिनांक 8.8.69 मि.नं. 448/68 का है इसमें भी गैरसायल उदा पिता लालु सा.बेगूँ को ग्राम अनोपपुरा की आराजी नं. 3 मी रकबा 2बीघा 6 बिस्वा पर नाजायज कब्जा होने से एडवाइजरी कमेटी में सरपंच ने भूमि गेरसायल के नाम करने की राय दी, जिससे सहमत होकर राज्य सरकार के सरक्यूलर संख्या एफ/3/50/रेव/बी/64 ता. 5.10.67 के अनुसार कुल लगान 1.18 पैसा का 35 गुणा 39.20 पैसा जुमला 44.20 पैसा कायम कर उक्त भूमि पर खातेदारी हकूक प्रदान किये जाते है। आदेा की तामील हेतु टी आर ए एवं पटवारी सूचित हो।

पत्रावली मे प्रस्तुत प्रदर्श–3 नकल नामान्तरण संख्या 90 मि0नं0 3077/68 की पालना में प्रदर्श–1 में दर्शाये गये निर्णय की पालना में वादीगण के पिता उदा पिता लालू ओड के पक्ष में आराजी संख्या 403/1 का रकबा 3बीघा 15 बिस्वपा भूमि का खातेदारी से नामान्तरण में दर्ज किये जाने का अंकन किया गया है। वादीगण गत आराजी संख्या 403 के वर्तमान नवीन आराजी संख्या 784 होना बताते हुए दावा पत्रावली में अंकन किया है जबकि पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–4 जो कि मिलान खसरा भू–प्रबन्ध का प्रस्तुत किया है उसमें गत आराजी संख्या 400मी. से नवीन आराजी संख्या 784 बने है।

इस दावा पत्रावली में नक्शाट्रेस व नकल जमाबंदी मौजा हरिपुरा की सम्वत 2027 से 30 तक की प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श नहीं है, जमाबंदी मौजा हरिपुरा की सम्वत 2027 का अवलोकन किया जाने पर पाया कि गत आराजी संख्या 403/1 रकबा 3बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से उदा पिता लालू ओड के नाम पर दर्ज है। वादीगण मौजा हरिपुरा की गत आराजी संख्या 403 रकबा 3बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके नवीन आराजी संख्या 784 रकबा 5बीघा भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते है, जबकि जमाबंदी सम्वत 2027 से 30 तक की जमाबंदी में उक्त आराजी उदा पिता लालू के नाम पर दर्ज है, पूर्व निर्णय में भी लिखा गया था कि वर्तमान जमाबंदी वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, मिलान सेटलमेन्ट भून्प्रबन्ध के खत से गत आराजी संख्या 400मी से नवीन आराजी संख्या 784 बने है, गत आराजी संख्या 403 के नवीन आराजी संख्या क्या बने है इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–2 निर्णय अनुसार वादीगण के पता उदा को गत आराजी संख्या 3मी की रकबा 3बीघा 1बिस्वा भूमि का नियमन हुआ था जिसके नवीन आराजी नम्बर वादीगण 626 होना बताते है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी का आराजी संख्या 626 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त आराजी संख्या 626 वन विभाग की भूमि पर जिस पर वादीगण को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

इस प्रकार वादीगण द्वारा पत्रावली में वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है तथा मौजा हरिपुरा की आराजी संख्या 626 वन विभाग की भूमि है एवं वर्तमान आराजी संख्या 784 के सम्बन्ध में कोई रिकोर्ड वादीगण द्वारा पत्रपावली में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादीगण अपने वादपत्र को सिद्व कराने में पूर्णतया असफल रहे है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्व नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ (राज0)

वाद पत्र संख्या :- 109/2011

मांगीलाल पिता उदा जी जाति ओड निवासी बेगूं तहसील बेगूं
वादी

बनाम

1. नंदलाल पिता उदा जी जाति ओड निवासी बेगूं तह0 बेगूं
2. जगदीश पिता उदा जी जाति ओड निवासी बेगूं तह0 बेगूं
3. श्रीमान जिलाधीश महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ
4. श्री तहसीलदार साहब बेगूं (भूमिधारी) बेगूं जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88 राज0कास्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.06.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं